न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **35/2019** अपील (राजस्व)

1. श्री इन्द्रसिंह पिता श्री फतेह सिंह निवासी राणावतो का गुडा, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भंवर सिंह पिता श्री दौलत सिंह निवासी राणावतों का गुडा, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सज्जन कुंवर पत्नी श्री रूप सिंह निवासी राणावतों का गुडा खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं. 341 तहसीलदार मावली निर्णय दिनांक 14.07.17

उपस्थित : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांकः—10.02.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के नामान्तरकरण संख्या 341 निर्णय दिनांक 14.07.17 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राणावतों का गुडा तहसील मावली में कृषि भूमि आराजी सं. 3914 रकबा 2 बीघा भूमि 3915 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि मौरूसी होकर विरासत से अपीलान्ट के पिता फतेहसिंह जी को प्राप्त हुई। जिसका ज्ञान फतेहसिंह जी को होते हुए भी उनके द्वारा अपने नैसर्गिक हिस्से से अधिक भूमि का हक त्याग रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में दिनांक को बिना संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यों की सहमति प्राप्त किये निष्पादित कर दिया। जिसके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के न्यायालय में दिनांक 11.07.17 को एक घोषणा, निषेधाज्ञा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने का आदेश दिनांक 14.07.17 को प्रदान किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा उक्त आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश प्रदान कर दिया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष में उक्त भूमि का

नामान्तकरण खोल दिया जो विधि विपरीत होने से खारीज होने योग्य है। अपीलान्ट की उक्त भूमि अपने खाते होने व अपीलान्ट को उक्त भूमि खाली करने की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का से पता करने पर उक्त अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी हुई। अतः श्रीमान से निवेदन कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विद्ववान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये नामान्तरकरण सं. 341 आदेश दिनांक 14.07.17 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा अपीलान्ट को भूमि खाली करने की धमकी दिये जाने पर दिनांक 26.06.19 को पटवारी हल्का से जानकारी करने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई जिसकी नकल दिनांक 27.06.19 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के समय को कण्डोन कराये जाने का श्रम करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट के पिता फतहसिंह को होते हुए भी उनके द्वारा अपने नैसर्गिक हिस्से की अधिक भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में हक त्याग कर दी गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा घोषणा व अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद व प्रार्थनापत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के न्यायालय में पेश किया गया जहां से दिनांक 14.07.17 को वादग्रस्त भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं.1 को होते हुए भी उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने स्थगन दिनांक 14.07.17 नामान्तकरण सं. 341 पारित किया गया। जो पूर्णतया अवैध व विधि विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। जहा तक अपीलान्ट की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया उस संबंध में भी रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से यह निवेदन किया कि यदि कथित नियमित वाद के जरिये पक्षकारान के हित माननीय न्यायालय द्वारा तय किये जाते है तब तक नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 के खाते की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं.2 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तान्तकरण की गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र से

हस्तान्तरण किये जाने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पंजीकृत विक्रय पत्र जो की एक वैध दस्तावेज है। उसी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। जिस दिनांक को नामान्तकरण पारित किया गया था उस दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन आदेश उपलब्ध नहीं था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा दिनांक 14.07.17 को स्थगन पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण दौराने स्थगन नहीं खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय नामान्तकरण में दर्ज भूमि संबंधी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश 14.07.17 को पारित किया गया। इसी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण निर्णित किया गया है। न्यायालय का मत रहा है कि सम्भवतः अपीलीय नामान्तकरण निर्णित करते समय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के स्थगन आदेश का ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को नही रहा होगा। परन्तु अपीलीय नामान्तकरण में दर्ज वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में विचाराधीन है। इसलिए पक्षकारानों के मध्य वादकरण की बाहुल्यता नहीं बढे। परस्पर पक्षकारानों के मध्य और किसी प्रकार का भूमि संबंधी विवाद नहीं हो। इसलिए उपखण्ड अधिकारी मावली में विचाराधीन घोषणा के वाद के निर्णय तक मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली की आराजी नं. 3914, 3915 किता 2 रकबा 4बीघा 2 बिस्वा भूमि का उभयपक्षकारान मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखगें। किसी भी पक्षकारान द्वारा भूमि को बेह बक्शीश से हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा और ना ही अन्य किसी से कराया जायेगा। प्रकरण की कार्यवाही को इसी स्तर पर खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जाये।

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.18 17:00:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: